

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/19/II/7263-64

दिनांक: 19.09.2020

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान
2. समस्त पुलिस आयुक्त/अधीक्षक
राजस्थान।

विषय:- पंच एवं सरपंच के आम चुनाव माह सितम्बर-अक्टूबर, 2020- चुनाव प्रचार के संबंध में।
संदर्भ:- कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु आयोग द्वारा जारी गाईडलाईन।

महोदय,

आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने के साथ ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार प्रारम्भ कर दिया जाएगा। पंच एवं सरपंच के आम चुनाव हेतु कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईन में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अतः आयोग द्वारा गाईडलाईन में चुनाव प्रचार हेतु जारी किए गए निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित निर्देश जारी करता हूँ:-

1. चुनाव प्रचार के समय प्रचार में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
2. सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 2 गज (6 फीट) की दूरी बनाकर रखी जाएगी।
3. चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित समयान्तराल में अपने हाथों को सैनेटाईज किया जाएगा।
4. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे।
5. चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों से ना तो हाथ मिलाया जाएगा, ना ही गले लगाया जाएगा एवं ना ही पैर छुए जाएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके।
6. राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 30.08.2020 को अनलॉक-4 हेतु जारी की गई गाईडलाईन में बी-निषिद्ध गतिविधियों के बिन्दु संख्या 1(v) में दी गई निम्न व्यवस्था की पालना की जाएगी:-

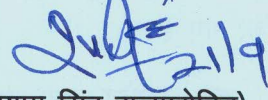
“सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामुहिक आयोजन **दिनांक 21.09.2020 से** अनुमत होंगे, ऐसे आयोजनों में अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी एवं फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वॉश और सैनेटाईजर के प्रावधान होंगे। संबंधित उप खण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।”

इसके अतिरिक्त कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/आयोग द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल की पालना की जाएगी।

7. संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं पंचायत समिति स्तर पर नियुक्त नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार/आयोग द्वारा जारी गाईडलाईन/निर्देशों एवं चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल की पालना का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे/करवाएंगे।
8. सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का खाना केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।
9. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से ही प्रचार किया जाएगा। यदि चुनाव प्रचार में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाईडलाईन का उल्लंघन पाया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त निर्देशों का समुचित प्रचार-प्रसार करेंगे एवं इनकी कड़ाई से पालना सुनिश्चित करायेंगे।

आज्ञा से,


(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव